राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मी देवी बनाम अंजू 1035/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 14/10/2025 को पेश हो।	
14.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अन्तिम निर्णय दिनांक 07/11/2023 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार को उनकी खाते की आराज़ीयात के स्वतन्त्र उपयोग-उपभोग से अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से प्रतिबन्धित नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमशः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीयां अपील के माध्यम से भी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा के सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/11/2023 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थीयां ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	